109

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1785–एक/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2010 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 8/09–10 निगरानी

रामप्रकाश पुत्र शिवप्रसाद
ग्राम बहादुरपुर तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर ----आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 3 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 8/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–12–2010 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली को आवेदन देकर बताया कि ग्राम गीलारोपा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1 रकबा 7–005 हैक्टर में से 2–090 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का उसे वृक्षारोपण हेतु तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 14–2–1994 से पटटा दिया गया था। वह रिटायर्ड पेंशनर है एंव शासन के परिपत्र क्रमांक 400–4–1953/सात–शा–2 दिनांक 9–11–1973 से पेंशनर को पटटा प्राप्त करने की पात्रता है एंव वादग्रस्त भूमि पर 14–2–1994

के पूर्व से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसके कुछ भाग पर आम, जामफल, जामुन कटहल आदि के पेढ़ लगाये गये है अतएव कब्जे के आधार पर भूमि व्यवस्थापित की जावे। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने आवेदक का आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अंतर्गत न पाते हुये निराकरण हेतु नायव तहसीलदार मुंगावली को अग्रेषित किया। नायव तहसीलदार मुंगावली ने आवेदक की सुनवाई कर जॉच उपरांत प्रकरण कमांक 17 अ-1/2002-03 में आदेश दिनांक 25-1-2004 पारित किया तथा म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये ।

नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-1-2004 के विरूद्ध कलेक्टर जिला अशोकनगर ने दिनांक 16-4-2009 को स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 4/2008-09 स्वमेव निगरानी में आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 9-9-2009 पारित किया एंव आवेदक के हित में दिया गया पटटा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 8/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2010 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो मे उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य

निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार के आदेश दि. 25-1-2004 के विरूद्ध कलेक्टर जिला अशोकनगर ने दिनांक 16-4-2009 को अर्थात 5 वर्ष 3 माह वाद स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्ध किया है ।

1. 1975 रा0नि0 67 = 1975 ज0लॉ0ज0 155= 1975 म0प्र0 लॉ0ज0 689 (हाई कोर्ट डी0बी0) के न्यायिक दृष्टांत हैं कि पटटेदार को भूमिस्वामी हक पैदा हो गये - 5 वर्ष वाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण उचित नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किस उपबंध के उल्लघॅन में कार्यवाही वावत् जानकारी कब प्राप्त हुई - 180 दिवस के वाहर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। (आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध म.प्र.राज्य तथा एक अन्य तथा 2010 रा.नि. 409 = 2010(3) JLJ 77 (पूर्णन्यायपीठ) से अनुसरित
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-50 - विपक्ष के मूल्यवान अधिकार - युक्तियुक्त समय में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण न किये जाने के कारण विपक्ष को जो विधिक रूप से मूल्यवान अधिकार (Valuable right) प्राप्त हो चुकते हैं स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करके उसको प्राप्त अधिकारों से बंचित नहीं किया जाना चाहिये।

परन्तु कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 4/2008-09 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 9-9-2009 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने की भूल की है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी आदेश दिनांक 14-12-2010 पारित करते समय इस पर ध्यान न देने की त्रृटि की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक ने आदेश दि. 25-1-2004 से भूमि प्राप्त हो जाने के वाद मेहनत मजदूरी करके एंव धन व्यय करके भूमि के चारों ओर पानी भरने के उद्वेश्य से बन्धान बनाया है एंव टयूव वैल उत्खनित करके सिंचाई का साधन बना लिया है एंव बैंक से ऋण भी प्राप्त किया है यदि आवेदक से भूमि वापिस ले ली गई, उसे अपरिमित क्षति होगी एंव वह कर्ज के बोझ से दव जायेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इन तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया

विचार किया जावे - **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 50 - भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)** । विचाराधीन निगरानी में पाया गया कि कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 4/2008-09 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 9-9-2009 पारित करते समय एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 14-12-2010 पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 8/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2010 एंव कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 4/2008-09 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-9-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलतः नायव तहसीलदार मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 17 अ-1/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-1-2004 स्थिर रहने से आवेदक के नाम की शासकीय अभिलेख हुई प्रविष्टि यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर